फर्द अहकाम

यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

नाथूलाल बनाम श्रवण लाल

दमा संख्या /वर्ष 30/2021 : ______ /20 ______

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	13/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी की बहस T.I. सुनी गई। पत्रावली वास्ते उचित आदेश हेतु दिनांक 23/2/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	23/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रा. पत्र टी. आई. पर निर्णय नहीं सुनाया/लिखा जा सका। अतः पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा. पत्र टी. आई. दिनांक 27/02/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	27/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। P.O. साहब अन्य राज कार्य (चुनाव सम्बन्धी ट्रेनिंग) मे व्यस्त है। अतः पत्रावली कार्यवाही अनुसार दिनांक 04/03/24 को पेश हो।	
	04/3/24	पत्रावली पेश [illegible] अधिव. [illegible] उपस्थित। बहस [illegible] तथ्यो पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। मूलवाद साक्ष्य की प्रक्रिया में नियत है। जिसके क्रम में प्रकरण का अंतिम निस्तारण प्रकरण में	

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

नाथूलाल बनाम श्रवणलाल व अन्य
प्रा.पत्र टी.आई. सं. 30/2024

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	04/03/24	प्रस्तुत साक्ष्यों की गुणवत्ता अनुसार किया जाना किया जाना अपेक्षित है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र के संदर्भ में कोई मान्य जवाब / खंडन / पैरवी प्रस्तुत नहीं होने से न्यायहित व वादबहुलता के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम चन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त अधीन भूमि आराजी खसरा नं. 349 रकबा 0.14 हैक्टे. तथा आराजी खसरा नं. 351 रकबा 0.23 हैक्टे. की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें व भूमि का विक्रय, हस्तांतरण ना करे तथा प्रार्थी को उसकी खाते खातेदारी की भूमि के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करें। निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्रीमती श्यामा राठौड, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 30/2021
निर्णय दिनांक : 04.03.2024

नाथूलाल पुत्र स्व० देबूलाल, जाति रैगर, उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्रवण लाल पुत्र मूलचंद
2. प्रभूदयाल पुत्र मूलचन्द
3. मूलचंद का पुत्र रामदेव
4. पांचूराम पुत्र मूलचन्द
5. रमेश चन्द पुत्र पांचूराम
6. मुकेश पुत्र पांचूराम
7. पूरणमल पुत्र कानाराम
8. रामगोपाल पुत्र भोमाराम

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील आमेर, जिला, जयपुर, राजस्थान।

9. मक्खन लाल पुत्र भोमाराम
10. केसरमल पुत्र भोमाराम
11. रतनलाल पुत्र कानाराम
12. फूलचंद पुत्र रामदेव
13. भूरामल पुत्र बिरदीचन्द
14. मन्नाराम पुत्र नौलाराम
15. कालूराम पुत्र मन्नाराम
16. जगदीश प्रसाद पुत्र नौलाराम

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील आमेर, जिला, जयपुर, राजस्थान।

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर मु. जयपुर)

वाद पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थी की ओर से ग्राम चतरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 349 रकबा 0.14 हैक्टेयर (गै.मु. आबादी), 351 रकबा 0.23 हैक्टेयर (गै.मु.आबादी) के संदर्भ में हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि ग्राम चतरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.न. 208/674, 209/626, 210, 211, 349, 350, 351, 356 कुल खसरा किता 8 कुल रकबा 2.80 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज अंकित चले आ रही है तथा पूर्व में उक्त भूमि प्रार्थी के पिता देबू पुत्र गिरधारी के नाम खातेदारी में दर्ज अंकित थी जो भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार थे। देबू पुत्र गिरधारी की मृत्यु के पश्चात भूमि विरासतन हवो के अन्तर्गत देबू पुत्र गिरधारी के उत्तराधिकारी की हैसियत से प्रार्थी के नाम दर्ज अंकित हुई। जिस पर प्रार्थी निरन्तर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी की बहनों ने उक्त भूमि में निहित अपने हक व अधिकारो को अपने भाई प्रार्थी के हक में त्याग कर दिया था। जिससे उक्त भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी में दर्ज अंकित चली आ रही है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि में से भूमि खसरा नं. 349 व 351 (गै.मु. आबादी) प्रकरण में विवादित भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है। प्रार्थी कुछ वर्षो पूर्व बीमार हो गया था तथा चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। जिसका अप्रार्थीगण ने नाजायज फायदा उठाने की गर्ज से साजिश कर उल्लेखित विवादित भूमि ख.नं. 349, 351 पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया। जिसका चलने फिरने की असमर्थता के कारण प्रार्थी को ज्ञान नहीं हुआ परन्तु प्रार्थी के स्वास्थ्य में सुधार होने पर चलने फिरने में समर्थ होने पर मौके पर जाने पर प्रार्थी को अप्रार्थीगण के उक्त नाजायज कब्जा/अतिक्रमण का ज्ञान हुआ। जिस पर प्रार्थी के विरोध व कहने पर अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का आश्वासन दिया गया परन्तु प्रार्थी के निरन्तर निवेदनों के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा अपने नाजायज कब्जे व अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तथा दिनांक 25.04.2021 को

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

कब्जा/अतिकमण का ज्ञान हुआ। जिस पर प्रार्थी के विरोध व आपत्ति पर अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि को अतिकमण मुक्त करने का आश्वासन दिया गया परन्तु प्रार्थी के निरन्तर निवेदनों के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा अपने नाजायज कब्जे व अतिकमण को नहीं हटाया गया तथा दिनांक 25.04.2021 को प्रार्थी के पुनः निवेदन करने पर अप्रार्थीगण द्वारा अपना अतिकमण हटाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया गया तथा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा, निर्माण व बेचान आदि की ऐलानिया धमकी दी गई। जिससे प्रार्थी अवसाद में आ गया है जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थी की भूमि पर नाजायज कब्जा करने, फर्जी व कूट रचित दस्तावेज अपने नाम से डलवाने व किसी प्रकार के कच्चे पक्के निर्माण का कोई विधिक अधिकार नहीं है, ना ही भूमि का स्वामित्व अप्रार्थीगण को प्राप्त है। अप्रार्थीगण के जबरन उक्त कृत्य हेतु प्रार्थी द्वारा निरन्तर अप्रार्थी 17 (तहसीलदार आमेर) से निवेदन भी किया जाता रहा है, परन्तु तहसीलदार आमेर की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे अप्रार्थीगण के हौसले बुलन्द हो गये है तथा वे अपनी अनैतिक/गैरकानूनी हरकतो पर कायम है, जिससे प्रार्थी को न्यायालय हाजा के समक्ष अप्रार्थीगण के अविधिक कब्जे व अतिकमण हेतु बेदखली का वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। जिससे यदि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर नाजायज कब्जा/अतिकमण को बरकरार रखने के आशय से निर्माण करने तथा कूटरचित दस्तावेजात के आधार पर भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेचान/हस्तान्तरण/खुर्द बुर्द करने में सफल हो जायेगे। जिससे प्रार्थी के विधिक व खातेदारी अधिकारों का हनन होगा तथा प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। जिसका द्रव्य में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को कानूनी सरंक्षण प्रदान किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक भूमि वादग्रस्त के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु तथा प्रार्थी को उसकी अभिलिखित खातेदारिता की उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादे ग्राम चतरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि आ.ख.न. 349 रकबा 0.14 है., आ.ख.न. 351 रकबा 0.23 है. की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने तथा प्रार्थी को उसकी अभिलिखित खातेदारिता की उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 06.07.2021 को नोटिस जारी किये गये। जिसके कम में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता. 7, 9 ता. 12, 14 ता. 16 की ओर से नियत तारीख पेशी दिनांक 16.07.2021 को मय अधिवक्ता उपस्थिति प्रस्तुत की गई तथा अप्रार्थीगण संख्या 8 व 13 के बावजूद विधिवत तामिल नोटिस उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगण संख्या 8 व 13 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 02.09.2021 को पारित किये गये। उक्त कम में उपस्थित अप्रार्थीगण संख्या 1 ता. 7, 9 ता. 12, 14 ता. 16 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत नहीं करते हुए दिनांक 17.09.2021 को एक प्रार्थना पत्र बाबत विधिक आपत्ति का प्रकरण के संदर्भ में अपील तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के लंबित होने के आधार पर इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वर्णित भूमि वादग्रस्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी है जो साबिक खसरा नं. 69, 187 से बनी है। वादग्रस्त आराजी के खसरा नं. 69, 187 पैतृक शामलाती भूमि चली आ रही है जिस पर पूर्वजो के समय से आवासीय मकानात बनाकर अप्रार्थीगण विरासतन हको के तहत साधिकार काबिज काश्त चले आ रहे है, जो राजस्व रिकॉर्ड में भी गैर मुमकिन आबादी स्वीकृत रूप से दर्ज है तथा मौके पर कब्जा व निवास आवासीय मकानातों में अप्रार्थीगण का साधिकार चला आ रहा है। जिनमें वर्ष 1980 से विद्युत कनेक्शन मौजूद है। प्रार्थी के पिता ने साबिक राजस्व रिकॉर्ड व वास्तविक कब्जे काश्त के विपरित भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अवैध, गैरकानूनी व क्षेत्राधिकार विहिन दिनांक 16.10.1989 द्वारा वादग्रस्त आराजी को एकपक्षीय रूप से अपने नाम गलत दर्ज करवा ली, जबकि वादग्रस्त आराजी पर कब्जे काश्त व निवास अप्रार्थीगण का पैतृक रूप से चला आ रहा है। भू–प्रबन्ध विभाग के क्षेत्राधिकार विहिन आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष अपील संख्या 31/2021 बउनवानी रामदेव बनाम नाथूलाल सुदृढ कानूनी बिन्दुओं व तथ्यों के आधार पर दिनांक 16.08.2021 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। जो दर्ज रजिस्टरं की जाकर मूल रिकॉर्ड [illegible] अपील का निस्तारण होना शेष है। वादग्रस्त आराजी पर मिन अप्रार्थीगण व उनके [illegible] राज. काश्त. अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही साधिकार विरासतन [illegible] जिसमे वर्ष 1960 से ही आवासीय ढाणी बनाकर मूल पूर्वज गिरधारी पुत्र [illegible] व उनके [illegible] वारिसान मिन अप्रार्थीगण बिना किसी बाधा के काबिज चले आ रहे है। [illegible] न्यायालय में तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 मूल वाद में लंबित होने के कारण प्रार्थी [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा की कार्यवाही स्थगित रखी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:26 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र आपत्ति के संदर्भ में अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में किसी प्रकार के स्थगन आदेश पारित नहीं किये जाने के पश्चात भी तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

नियम 11 के विधिवत निस्तारण उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रस्तुत तथ्यों का कोई समुचित खंडन/जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही के नियत रहते अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र "नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड" प्रस्तुत किये जाने पर अप्रार्थीगण को विधिवत कोर्ट नोटिस जारी किये गये। जिसके अनुसरण में अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने/उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही आदेश पारित किये गये तथा उक्त कम में प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई।

हमने प्रार्थी पक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्व अभिलेख में दर्ज अंकित भूमि, जो कि प्रार्थी मात्र की एकल खातेदारिता में निरन्तर दर्ज अंकित चली आ रही है तथा पूर्व मे भी भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज अंकित रही है, के संदर्भ में स्वयं की खातेदारिता भूमि की रक्षार्थ प्रस्तुत किया गया है, जिसके संदर्भ में राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी की भूमि है। जिसके अन्तर्गत अप्रार्थीगण का नाजायज, अविधिक कब्जा/अतिकम्रण होना प्रदर्शित कर उक्त संदर्भ में अनुतोष चाहा गया है। यद्यपि प्रथम दृष्टया उल्लेखित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 349 व 351 गैर मुमकिन आबादी भूमि के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज अंकित है परन्तु पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उल्लेखित गैर मुमकिन आबादी भूमि का सक्षम प्राधिकृत संस्था/अधिकारी द्वारा विधिवत किस्म परिवर्तन/रूपान्तरण कर दिया गया हो। जिससे प्रकरण का निस्तारण पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर प्रस्तुत साक्ष्यों के विस्तृत विवेचन के अन्तर्गत, साक्ष्यों की गुणवत्ता के अधीन किया जाना अपेक्षित है। जिसके कम में मूल वाद साक्ष्य प्रकिया में लंबित है, परन्तु चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में कोई मान्य/औपचारिक जवाब अथवा खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा जो प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र के जरिये व्यक्त की गई है उस संदर्भ में भी कोई मान्य साक्ष्य दस्तावेज अथवा प्रभावी पैरवी (तर्क) भी प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि उक्त आपत्ति के आधार बिन्दु (प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11) का निस्तारण भी विधिवत सुनवाई अनुसार किया जा चुका है। जिसके कम में अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर विधिवत प्रकिया अनुसार एक तरफा कार्यवाही आदेश अप्रार्थीगण के विरूद्व पारित किये गये है तथा मूल वाद साक्ष्य की प्रकिया में नियत है। जिसके कम में प्रकरण का अन्तिम निस्तारण प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों की गुणवत्ता अनुसार किया जाना अपेक्षित है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के संदर्भ में कोई मान्य जवाब/खंडन/पैरवी प्रस्तुत नहीं होने से न्याय हित व वाद बहुलता के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम चतरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आराजी खसरा नं. 349 रकबा 0.14 है. तथा आराजी खसरा नं. 351 रकबा 0.23 है. की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे व भूमि का विकय, हस्तान्तरण आदि ना करें। तथा प्रार्थी को उसकी अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करें।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक (श्यामा राठौड़) ट्रेक) आमेर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:26 IST
Reason: SelfAttested